दिनांक 03.06.14 को अपराह्न 03:00 बजे श्रीमती रचना पाटिल भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, नालन्दा की अध्यक्षता में ई-गवर्नेन्स एवं लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति : यथा पंजी ।

आज दिनांक 03.06.2014 को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधित समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुई । बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के सफल संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये जो निम्नवत् है :-

1. **प्रमाण पत्रों का रख-रखाव :-**

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, महोदया द्वारा नालन्दा जिला में कार्यान्वित आर0टी0पी0एस0 काउन्टरों से निर्गत किये जा रहे प्रमाण पत्रों के रख-रखाव के संबंध में चर्चा की गई । उक्त चर्चा के आलोक में प्रखण्ड -सह- अंचल कार्यालय, बिन्द, रहुई, सिलाव, थरथरी, एकंगरसराय एवं अनुमंडल कार्यालय हिलसा के आई0टी0 सहायकों द्वारा जानकारी दी गई कि आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर प्रमाण पत्रों का रख-रखाव के लिए रैक/संदूक की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण वहाँ प्रमाण पत्रों का रख-रखाव RTPS काउन्टर कार्यालय में ही किया जा रहा है । इस संबंध में जिला पदाधिकारी, महोदया द्वारा निदेश दिया गया कि इन प्रखण्ड -सह- अंचल/अनुमंडल कार्यालयों के पदाधिकारी को अबिलम्ब रैक एवं लाल कपड़ा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । साथ ही साथ वैसे कार्यालयों जहाँ आर0टी0पी0एस0 काउन्टर बड़ा है उसे Partition कर अलग से प्रमाण पत्रों का रख-रखाव के लिए लाल कपड़ा में महीना वार लेबल लगाकर रैक/संदूक में संधारण करना सुनिश्चित करें । आर0टी0पी0एस0 अन्तर्गत सेवा वार सभी पंजियों का अद्यतन संधारण करना सुनिश्चित करेंगे । सभी आई0टी0 सहायकों को निदेश दिया गया कि आर0टी0पी0एस0 काउन्टरों का विभिन्न दिशाओं से लिया गया फोटोग्राफ ई-मेल के माध्यम् से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

2. **दैनिक Synchronization की स्थिति :-**

समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित प्रखण्ड -सह- अंचल कार्यालयों में दिनांक 16.05.2014 से 02.06.2014 तक Data का Synchronization 90% से कम पाया गया, जो निम्नवत् है ।

प्रखण्ड -सह- अंचल कार्यालय का नाम	Synchronization %
बिहारशरीफ	86.66667
गिरियक	86.66667
हरनौत	86.66667
कतरीसराय	80

करायपरसुराय	73.33333
बिन्द	66.66667
चण्डी	66.66667
थरथरी	66.66667
सरमेरा	40

जिस पर जिला पदाधिकारी, महोदया द्वारा संबंधित कार्यालय के आई0टी0 सहायकों से स्पष्टीकरण की माँग करने हेतु ओदश दिया गया । साथ ही साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आर0टी0पी0एस0 के अन्तर्गत प्राप्त 87 आवेदन Synchronization नहीं होने के कारण Expried दिख रहा है । प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी कई बार पत्राचार के माध्यम् से इन्हें 100% Synchronization सुनिश्चित करबाने हेतु निदेश दिया गया है परन्तु अब तक इनके द्वारा उक्त कार्य में कोई रूचि नहीं ली गई है । इस पर जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को अबिलम्ब कार्य में शिथिलता बरतने पर स्पष्टीकरण की माँग एवं विभाग को स्थिति से अवगत कराने हेतु कहा गया ।

साथ ही साथ पेंशन से संबंधित सभी आवेदनों को त्वरित गति से निष्पादित करने का निदेश दिया गया ।

3. **<u>आर0टी0पी0एस0 काउन्टर से प्रमाण पत्रों का वितरण :-</u>**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड -सह- अंचल कार्यालयों, इसलामपुर, गिरियक, अस्थावॉ एवं अनुमंडल कार्यालय बिहारशरीफ में प्रमाण पत्रों का वितरण आर0टी0पी0एस0 काउन्टर से नहीं किया जा रहा है । इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी आर0टी0पी0एस0 कार्यालयों में प्रमाण पत्रों का वितरण आर0टी0पी0एस0 काउन्टर से ही किया जाना है, अन्यथा आर0टी0पी0एस0 काउन्टर से प्रमाण पत्रों का वितरण नहीं किये जाने पर दोषी पदाधिकारी/कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी ।

4. **<u>आर0टी0पी0एस0 काउन्टर का नियमित छापेमारी एवं निरीक्षण :-</u>**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Allied Offices (शिक्षा, परिवहन, निबंधन, वाणिज्यकर एवं गृह विभाग) के कार्यालयों में नियमित निरीक्षण -सह- छापेमारी अभियान नहीं हो रहा है । इस संबंध में जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा निदेशित किया गया कि संबंधित विभागों के पदाधिकारियों द्वारा कम से कम सप्ताह में एक छापेमारी -सह- निरीक्षण कर आर0टी0पी0एस0 कोषांग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही साथ जिला स्तरीय अपर समाहर्त्ता/वरीय उप समाहर्त्ता पदाधिकारियों की टीम बना कर सभी 31 कार्यालयों में नियमित छापामारी -सह- निरीक्षण करने हेतु प्रभारी पदाधिकारी को तिथि एवं कार्यालय निर्धारित करने का निदेश दिया गया ।

5. **<u>आर0टी0पी0एस0 कर्मियों का मानदेय :-</u>** जिला पदाधिकारी द्वारा आर0टी0पी0एस0 के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों का मासिक मानेदय प्रत्येक माह के 5वीं0 तारिख तक भुगतान करने हेतु स्थापना उप